न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 334/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री अव्हाद निवृति सोमनाथ, आई.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. श्रीमति साहेबजादी पत्नि कलीमुला जाति मुसलमान निवासी सुजो का निवाण तहसील सेडवा

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **परोकार वकील**

विप्रार्थी संख्या 1 के वकील – **श्री मोहनलाल खिलेरी**

निर्णय

दिनांक :– 27/06/23

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के संयुक्त पैतृक खातेदारी एवं कब्जे–काश्त के खेत मौजा सेडवा पटवार हल्का सेड़वा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 743/362/362 रकबा 0.3480 हैक्टर (02.03) बीघा किस्म बारानी दोयम विप्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी सवत् 2078 से सलंग्न है। कि मौजा सेड़वा के खसरा न. 743/362/362 रकबा 0.3480 हैक्टर (02.03) बीघा किस्म बारानी दोयम मे से भूमि (02.03बीघा) पर विप्रार्थी द्वारा अवैध तरिके से भूमि बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। जो नियम विरूद्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार को कृषि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लेने हेतू दी गयी है। जबकि गैर कृषि कार्य से धारा 15 का उल्लघन हुआ है जिससे खातेदार बेदखल योग्य है। कि विप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ किसी प्रकार के सम्परिवर्तन के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। कि उपरोक्त प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतू राजस्व वाद न्यायालय मे विचाराधीन है कि माननीय न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत वाद विचाराधीन रहने के दौरान विप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरण आदि के जरिये खुर्द–बुर्द करने की पूर्ण सम्भावना है। अतः माननीय न्यायालय में वाद के निर्णय तक ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 743/362/362 रकबा 0.3480 हेक्टर (02.

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

03बीघा) पर अस्थायी निषेधज्ञा पारित कर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदश फरमाने की इल्तजा की जाती है।

उभयपक्षकारान वकील उप0। विप्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निम्नानुसार है– प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन में राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही हाने से स्वीकार है। विप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार से अवैध तरीके से निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा न ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। विप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है। ओर न ही भूमि की किस्म मे परिवर्तन किया गया है विप्रार्थी के किस्म परिवर्तन की पत्रावली अभी भी प्रार्थी के कार्यालय में विचाराधीन है। प्रार्थी को विप्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के द्वारा द्वेषपूर्ण भावनावश विप्रार्थी की खातेदारी भूमि बेदखल करने के उद्देश्य से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज योग्य है। जब विप्रार्थीनी के द्वारा कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य किया ही नहीं तो उसके लिए साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। प्रार्थी विप्रार्थीनी से किस्म परिवर्तन के चक्कर में भारी राशि ऐंठना चाहता है जिसमें सफल नहीं होने पर विप्रार्थीनी की भूमि से बेदखल करने के लिए उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी के द्वारा धारा 177 के तहत विप्रार्थी के विरूद्व राजस्व वाद गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर अवश्य प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। वादग्रस्त भूमि विप्रार्थीनी स्वयं की खातेदारी भूमि है जिसे वो खुर्द–बुर्द करे यह तथ्य हास्यप्रद है। प्रार्थी विप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर स्थगन प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वेषपूर्ण भावनावश अपने नाजायज मंसुबो में सफल नहीं होने से विप्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने के कुप्रयास कर रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है, जिसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

विशेष आपत्तियाः–

1. हस्तगत प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तारीफ में नहीं आने से काबिले निरस्त है।
2. विप्रार्थीनी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है ओर न ही भूमि की किस्म में परिवर्तन किया गया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

3. विप्रार्थीनी का मौजा सेडवा के खेत खसरा संख्या 743/362 क्षेत्रफल 0.3480 हैक्टेयर रकबा 02.03 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है, इसलिए उक्त खेत में समय पर फसल रखवाली नहीं होने के कारण आवारा पशु फसलें खराब कर देते है इसलिए वादग्रस्त खेत की चारों तरफ सीमा पर पक्की बाड (दीवार) बनाकर विप्रार्थीनी खेत में सुरक्षित खेती करने के लिये बनाई है, जिसमें अकृषि कार्य नही किया जा रहा है।
4. हल्का पटवारी व प्रार्थी तहसीलदार सेडवा न केवल बाउण्ड्री वाल को अकृषि कार्य उपयोग मानकर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न फोटो भी विप्रार्थीनी के खेत के नहीं होने से भी प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह किया है।
5. विप्रार्थीनी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन हेतु व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थी तहसीलदार सेडवा के कार्यालय में पत्रावली प्रस्तुत की जा चुंकी है जो भी विचाराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विप्रार्थीनी के विरूद्व गलत प्रकरण दर्ज किया गया है।
6. प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी है कि विप्रार्थी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है लेकिन प्रार्थी ने इन तथ्यों को छुपाकर हस्तगत आवेदन पेश आवेदन पेश किया है इस प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र काबिले निरस्त है।
7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधि भीतर नहीं होने से काबिले निरस्त है।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय की आड में एकतरफा स्थगन आदेश पारित करवाया है। एकतरफा स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा कानूनी प्रक्रिया में व्याधान पैदा करने की नियत से, सारहीन व बिना किसी आधार के गलत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत् एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 175–177 एव 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2055 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया जिससे ऐसा प्रतीत कई नहीं होता है कि प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश लिया गया व न्यायदृष्टांत है। पत्रावली का अध्ययन करने से प्रतित होता कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्राथ्री के पक्ष में होता है। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश की आड में विप्रार्थी को बेवजह परेशान किया गया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेडवा

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 334/2022 दिनांक 02.12.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

अव्हाद निवृति सोमनाथ
(आई.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा